INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान पटवार

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

भाग – 5

संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था

(भारत + राजस्थान)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"राजस्थान पटवारी नोट्स"** को एक विभिन्न अपने - अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा – 2024** में पूर्ण संभव मदद करेंगे ।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स मे कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूची पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : https://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें – https://wa.link/0yupe6

Online Order करें - https://shorturl.at/pwFNP

मूल्य : (₹)

संस्करण : नवीनतम (2024)

क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
	भारतीय संविधान	
1.	संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	9
3.	संविधान संशोधन	12
4.	उद्धेशिका (प्रस्तावना) एक्स्ट्रा टॉपिक • संघ एवं इसका क्षेत्र • नागरिकता	19
5.	मौलिक अधिकार	26
6.	नीति निदेशक तत्व	35
7.	मूल कर्तव्य	38
8.	राष्ट्रपति • उपराष्ट्रपति	44
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	65
10.	भारतीय संसद	72
11.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनराविलोकन	82
12.	निर्वाचन आयोग	89
13.	नियंत्रक एवं (151- 148 – अनुच्छेद)महालेखा परीक्षक	94
14.	नीति आयोग	96

15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	98
16.	लोकपाल	103
17.	केंद्रीय सूचना आयोग	106
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	110
19.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति	112
20.	गठबंधन सरकारें -	116
21.	राष्ट्रीय एकीकरण एक्स्ट्रा टॉपिक • लोक सेवा आयोग	121
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)	135
2.	राज्यपाल	136
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	143
4.	राज्य विधान मण्डल व विधानसभा	151
5.	उच्च न्यायालय	160
6.	जिला प्रशासन	167
7.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	172
8.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	181

9.	राज्य मानवाधिकार आयोग	184
10.	लोकायुक्त	186
11.	राज्य निर्वाचन आयोग	189
12.	राज्य सूचना आयोग	191
13.	लोकनीति	195

आजाद	
डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	विधि
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरुप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) ।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था ।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था ।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी ।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे ।

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया । 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे । यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया ।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

- 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	पं . जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारुप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति	सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारुप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)
एन गोपालस्वामी आयंगार
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
डॉ. के.एम मुंशी
सैय्यद मोहमद सादुल्ला
एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारुप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास = (49)
बॉम्बे (मुंबई) = (21)
पश्चिम बंगाल = (19)
संयुक्त प्रांत = (55)
पूर्वी पंजाब = (12)
बिहार = (36)
मध्य प्रांत एवं बेरार = (17)
असम = (8)
उड़ीसा = (9)
दिल्ली = (1)

- **संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।**
- सर वी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्ति

एच. वी. आर अय्यंगार (सचिव)
एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)
मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)

सारांश

- मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
- **इसे** ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री **विलियम** पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
- बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में **1860** से शुरू किया गया।
- घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की

अध्याय – 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित** प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं ।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं ।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते है और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढाचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।
b. केवल B सही है।
c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।
d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर - c

मौलिक अधिकारों की आलोचना –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।

(4) **आपातकाल के समय इनका निलबन हो जाता है।**

note- अनुच्छेद – 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) **संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमे कमी कर सकती है।**

(7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा हैं तथा प्रकिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	**अनु. 13**
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii) स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि – संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित

(iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो	(ii) अस्थाई विधि – जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें । (iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

a. देश के किसी भाग में बसने का अधिकार
b. लिंग समानता का अधिकार
c. सूचना का अधिकार
d. शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर – c

(1) <u>समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)</u>

(i) <u>विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-</u>

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान हैं । **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से** प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नही होगा।

विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नहीं होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता हैं तो उसे दोषी नही माना जायेगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा ।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे – UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देंन है।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय हैं । "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओ के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

<u>कुछ आधारो पर विभेद का प्रतिषेध</u>

- अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जायेगा ।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओ, तालाबो, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नही जायेगा।
- इसमें यह भी प्रावधान हैं कि राज्य महिलाओ एवं बच्चो के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता हैं ।
- इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC,ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता है।

<u>लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु. - 16)</u>

अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलो में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है –

(1) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों को विशेषाधिकर प्रदान किए गए है।

(2) किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।

(3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा

vii. सूचना का अधिकार ।
viii. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार।
ix. देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार ।
x. फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ।
xi. विदेश यात्रा का अधिकार
xii. नींद का अधिकार

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-A)

86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि **राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।**

इसके संबंध राज्य विधी बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी **प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया** गया, जिसे । **अप्रैल 2010 को लागू किया गया।** व्यवहारिक रूप में 2010 से पहले इस मौलिक अधिकार की प्रकृति नीति निदेशक तत्वों के समान ही थी

अनु. 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-

इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं

(i) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा |

(ii) गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार हैं कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।

(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटो में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को केवल तब ही बढ़ाया जा सकता हैं । जब उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का बोर्ड यह प्रमाणित करे कि अवधि बढाई जाने की आवश्यकता हैं ।

(iv) **अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नही होते ।**

(3) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु.23)

- मानव दुर्व्यापार से आशय है कि महिला पुरुष बच्चो की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगो के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता हैं।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात श्रम नही करवाया जा सकता । बलात श्रम से आशय हैं, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है । लेकिन वह कार्य करने से इंकार करता है तो उससे कार्य करवाना बलात श्रम नही माना जायेगा ।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी एवं बेगार नही करवाई जा सकती।
- लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक उद्देश्य अथवा आपदा के मामले में अनिवार्य सेवा के नियम को लागू किया जा सकता है।
- और ऐसी सेवा के बदले राज्य भुगतान करने के लिए भी बाध्य नही है। लेकिन राज्य इस सम्बन्ध मे धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

बाल श्रम का प्रतिषेध (अनु. 24)

- इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में नियोजित नही किया जा सकता।
- लेकिन SC ने यह निर्णय दिया हैं कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के ऐसे कार्य में सहयोग कर सकता है जिसमें जोखिम ना हो, तथा उसकी शिक्षा एवं खेल पर नकारात्मक प्रभाव नही पड़ता हो।
- इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक को जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- 2006 में केन्द्र सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि कोई भी बालक होटल, चाय की दुकान, अन्य सामान्य दुकान आदि में नियोजित नही किया जायेगा ।
- ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें आर्थिक जुर्माना तथा कारावास दोनों शामिल है ।

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28):-

अनु. 25 – इसमें प्रावधान है कि -

(a) प्रत्येक व्यक्ति की अन्तः करण की स्वतंत्रता होगी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य को अपने तरीके से मानने अथवा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ।

(b) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना किसी भय के मानने की स्वतंत्रता रखता है।

(c) प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अपने आराध्य की उपासना कर सकता है।

(d) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों का प्रचार कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, एवं स्वास्थ के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

- इसी प्रकार राज्य को यह अधिकार है कि हिन्दुओं से सम्बंधित धार्मिक संस्थाओ को हिन्दुओ के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है।
- अनु. 25 में यह भी प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का मुख्य अंग माना जाएगा।

अनु. 26 :- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार होगा कि -

(a) धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओ की स्थापना करे एवं उनका संचालन करे

- इस समिति में 13 सदस्य थे
- इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी जिसमें कुल 132 सिफारिश की गई थी।
- इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई परन्तु इसे अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया।

डी.पी.वी.के. राव समिति (1985):-1985 में डा. पी. वी. के. राव. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सोपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश करे।

- इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर महिलाओ के लिए आरक्षण कि भी सिफारिश की, लेकिन समिति की सिफारिश को अमान्य घोषित कर दिया गया।

पी के शुगल समिति (1988):- 1988 में पी. के शुगल समिति का गठन पंचायती संस्थाओ पर विचार करने के लिये किया गया।

- इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओ को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।
- **पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग-9 व 11वी अनुसूचि में है तथा इसमें कुल 29 विषय है।**
- जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नही की गई है।
  (i) दिल्ली
  (ii) जम्मू कश्मीर
  (iii) मेघालय
  (iv) मिजोरम
  (v) नागालैण्ड

पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान:

- पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किये जा सकते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधानमन्डल द्वारा कानून बनाया जाएगा।
- जिन पंचायतों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमे दो स्तरीय पंचायत अर्थात्-जिला स्तर व गांव स्तर पर, का गठन किया जाएगा और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पचायत की स्थापना की जाएगी।
- सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओ द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद किया जाता है जिला पंचायतो के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ,गांव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व इसका अध्यक्ष प्रधान व सदस्य Ward member कहलाता है तथा खण्ड का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है तथा इसका अध्यक्ष Block Head कहलाता है तथा इसके सदस्य B.D.C होते हैं।
- सभी स्तर की पंचायतो का **कार्यकाल पाँच वर्ष होगा** लेकिन इसका **विघटन पाँच वर्ष से पहले भी किया जा सकता** है किन्तु **विघटन की दशा में 6 मास के अन्तर्गत चुनाव कराना आवश्यक होगा।**

अनु० 243(घ) - स्थानों का आरक्षण

- SC/ST के लिए जनसंख्या अनुपात में 30% का आरक्षण प्राप्त होगा।
- SC/ST की महिलाओ को 30% का 1/3 तथा अन्य महिलाओ को शेष का 1/31% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- OBCs को जितना विधानमण्डल निर्धारित करेगी उतना आरक्षण मिलेगा।

अनु० 243(ट)- पंचायतो के लिए निर्वाचन आयोग।

अनु० 143(स)- वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन ।

अनु० 41 - कुछ दशाओ में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना

अनु० 42- काम की न्यायोचित, मानवोचित दशा का होना तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना।

अनु० 43 – कर्मकारों को जीवन निर्वाह (मजदूरी)

अनु० 43 (A) - 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976-उधोगो के प्रबन्ध में मजदूरी की भागीदारी।

अनु० 44 - सभी नागरिको के लिए एक समान आचार संहिता

अनु० 45 वर्ष से कम आयु के बालकों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना (अनु. 21(A) 86 वां 2002)

अनु० 4 6- अनुसुचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्ग को शिक्षा प्रदान करना तथा उनके अर्थसम्बन्धी हितो का पक्षपोषण करना।

अनु० 47- पोषाहार स्तर, जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करना ।

अनु० 4 8- कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक ढंग से एंव वैज्ञानिक ढंग से विकास करना ।

- भारत का प्रथम अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय M.P. में
- **उड़ीसा सर्वाधिक कुपोषणग्रस्त**

अनु० 48 (A) – 42वां सं. स. अ. 1976- पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना।

अनु० 49 - प्राचीन महत्व के स्मारको वस्तुओं व स्थानों की रक्षा करना।

अनु० 50 - लोकसेवा (कार्यपालिका) से न्यायपालिका को पृथक करना

अनु० 51-अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना आपसी विवादो का शान्तिपूर्ण समाधान करना।

मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में अन्तर:

मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हैं। जब कि निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता अर्थात्- यह अप्रवर्तनीय है।

मूल अधिकार अधिकांशतः नकारात्मक है जो राज्य को कुछ करने से हैं। मना करता है जब कि निदेशक तत्व **अधिकांशित** सकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ करने का निर्देश देता है

मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता जैसे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है जबकि तत्वो का त्याग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनु. 20 व 72 को रोककर मूल अधिकार को निलम्बित किया जा सकता है किन्तु निदेशक तत्वो को किसी भी दशा में निलम्बित नहीं किया जा सकता।

मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना जब कि नीति निदेशक तत्वो का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रसस्थ करना है।

नीति निदेशक तत्वों की कुछ टिप्पणी

- ग्रैन विन अस्टिन ने इसे सामाजिक क्रान्ति का दस्तावेज कहा है।
- वी एन. राव ने इसे नैतिक उपदेश मात्र कहा हैं।
- सर. आईवर लेनिंग्स ने इसे अन्य आत्माओं की महात्वाकांक्षा मात्र कहा हैं।
- **के.पी.शाह के अनुसार," यह एक ऐसा चेक हैं जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है।**
- "अम्बेडकर के अनुसार " **इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है।**
- **"के एम पणिक्कर के अनुसार इसका ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है ।**

सारांश

- राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36-51 तक किया गया है संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्व को 'विशेषता' वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व, संविधान की आत्मा एवं दर्शन है।
- ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है।
- राज्य की नीति के निदेशक तत्व, नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय, राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं।
- नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य 'लोक कल्याणकारी राज्य' का निर्माण है न कि 'पुलिस राज्य' जो कि उपनिवेश काल में था।
- निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर - न्यायोचित है। माना कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अतः सरकार (केन्द्र राज्य एवं स्थानीय) इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
- संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों - समाजवादी, गांधीवादी, और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है।
- 42 में संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए हैं।

(1) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनु. 39)

(2) समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए (अनु. 39A)

(3) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए (अनु. 43A)

(4) रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए (अनु. 48A)

- बी. एन. राव ने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है।
- निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे।
- 1967 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले से एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लेखनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।

- **अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :**

1. निम्न कथनों पर विचार कीजिए :

1. राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक समान सिविल संहिता बनाए, जो सभी पर लागू हो।
2. समान सिविल संहिता से संबंधित, प्रावधान संविधान के भाग तीन में प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

a. केवल 1   b. केवल 2
c. दोनों 1 व 2   d. न ही 1 न ही 2

उत्तर – d

अध्याय – 17

केंद्रीय सूचना आयोग

- केंद्रीय सूचना आयोग **एक सांविधिक निकाय** है, जिसकी **स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गयी,**
- इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है ।
- सूचना आयोग केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है

सूचना का अधिकार (right to Information)

किसी लोकतंत्र की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें से एक है शासन में पारदर्शिता और सही सूचनाओं तक लोगों की पहुँच।

- खासकर के भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए तो और भी जरुरी हो जाता है। वैसे भारतीय संविधान ढ़ेरो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- सूचना का अधिकार **(RTI) एक ऐसा अधिकार है जो एक एड ऑन (Add on) की तरह काम करता है और अन्य अधिकारों को भी सशक्त (Strong) बनाता है।**
- दूसरी बात कि ये प्रशासन या प्राधिकरण में सतर्कता बनाए रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
- इसकी शुरुआत वैसे तो 1948 से ही मानी जाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया।
- जिसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- **भारत में इसे 2005 में एक अधिनियम के द्वारा अपनाया गया** और केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- "सूचना का अधिकार" से यहाँ मतलब पहुँच सकने योग्य सूचना से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है, इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण;
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(iii) सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
(iv) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना है।"

- सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।"
- थॉमस जैफरसन – (अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act-RTI), 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे शासन में पारदर्शिता और नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

- **केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्तूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी।** इसकी स्थापना इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के मा ध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

इस आयोग में एक **मुख्य आयुक्त** (Chief Commissioner) **एवं 10 सूचना आयुक्त** (Information commissioner) होते हैं। इन **सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती हैं, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनट मंत्री होता है।**

1) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा
(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और
(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

2) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -
(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और
(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये।

10. राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री क्रमशः है -

A. वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल
B. वसुंधरा राजे, तारा भंडारी
C. वसुंधरा राजे, कांता भटनागर
D. वसुंधरा राजे, कुशाल सिंह

उत्तर (A)

अध्याय – 5

राज्य विधान मण्डल व विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना , गठन , कार्यकाल , प्रक्रियाओं , विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन/ पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

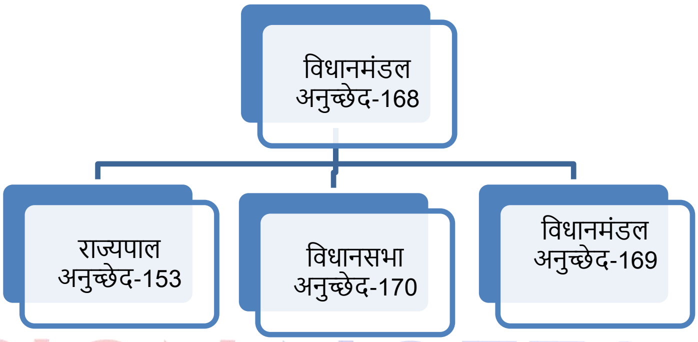

- **राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा**

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।(फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है ।

  NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404) , पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

  NOTE : - दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या

है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

प्रश्नः- सन् 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। (RAS. Pre.2016)
(a) 200
(b) 160
(c) 188
(d) प्रत्येक जिले में तीन विधायक
उत्तर – (b)

- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

प्रश्नः- राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौनसा कथन सही है? (RAS. Pre. 2021)
(1) केन्द्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
(2) केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
(3) राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।
(4) राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का, सुमेलित युग्म पहचानिए
उत्तर – (1)

- **NOTE - विधानपरिषद के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।**
- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद हैं 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक
- **NOTE – अप्रैल, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद की संख्या 66 निर्धारित की गई थी । इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।**

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद की संरचना
संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।
NOTE : - इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है।

निर्वाचन पद्धति : - विधानपरिषद के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।
विधान परिषद के कुल सदस्यों में से –
(i)1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका , जिला परिषद आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है।
(ii)1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
(iii)1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य , ज्ञान , कला , सहकारिता , समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।
(iv) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं।

- राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर - कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष- **लक्ष्मणसिंह (6ठी विधानसभा में बने)**
- राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष- **रामनिवास मिर्धा (2 बार)**
- राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष- **समरथलाल मीणा (5 माह)**
- ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे- **हीरालाल देवपुरा**
- ऐसे उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे - **हरिशंकर भाभड़ा (2 बार)**
- राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष - **लालसिंह शकावत**
- राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष - **तारा भण्डारी**
- निम्न व्यक्ति राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे :
- 1. निरंजन आचार्य 2. पूनमचंद विश्नोई 4. शांतिलाल चपलोत 5. समरथलाल मीणा प्रसाद तिवाड़ी

प्रश्नः- निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं ? (RAS. PRE. 2018)
(1) पूनम चंद विश्नोई।
(2) निरंजन नाथ आचार्य
(3) शांतिलाल चपलोत
(4) परसराम मदेरणा
उत्तर – (1)

अनुच्छेद 182 इसमें विधानपरिषद के सभापति व उपसभापति के पद का उल्लेख मिलता है । विधानपरिषद् के सदस्यों में से ही सभापति व उपसभापति को चुना जाता है । अतः विधानपरिषद् के सभापति व उपसभापति का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष होता है ।

अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त

- यदि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष स्वयं त्याग पत्र दे दे।
- यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य न रहे ।
- विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है ।
- विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र , उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है ।
- विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लेकिन यह संकल्प सदन में प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक होता है ।

अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

- जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य , जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे , उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।
- विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो उस स्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

अनुच्छेद 183 इसमें विधानपरिषद के सभापति व उपसभापति के पद रिक्त **NOTE-** प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान है

अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

NOTE- प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान है

अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

- विधानसभा की किसी बैठक में , जब अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष / उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा ।
- जब विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है तब उसको विधानासभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने , मत देने का अधिकार होगा (विधानसभा सदस्य के रूप में) लेकिन निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा ।

अनुच्छेद 185 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

NOTE- प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान है ।

अनुच्छेद 186 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधानपरिषद् के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है ।

- इनके वेतन - भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है । इनके वेतन - भत्ते राज्य को संचित निधि में से दिये जाते हैं ।
- इनके वेतन - भत्तों का उल्लेख अनुसूची -2 में मिलता है।
- वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 तथा उपाध्यक्ष का 65,000 है ।

अनुच्छेद 188 विधानमण्डल के सदस्यों की शपथ / प्रतिज्ञान का उल्लेख

- विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति **द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ** दिलाई जाती है ।
- इनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है ।
- **अनुच्छेद 189** सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों को कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- **इस अनुच्छेद में विधानसभाध्यक्ष / सभापति के निर्णायक मत का उल्लेख है ।**
- सामान्यतः अध्यक्ष / सभापति मत नहीं देगा लेकिन जब किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाये तो अध्यक्ष / सभापति निर्णायक मत का प्रयोग करेगा ।
- इस अनुच्छेद में राज्य विधानमण्डल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) का उल्लेख है ।
- बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का या न्यूनतम 10 सदस्य इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक / अधिवेशन के लिए आवश्यक है ।
- यदि राज्य की विधानसभा / विधानपरिषद् के अधिवेशन के समय गणपूर्ति 10 पूरी नहीं है तो
- अध्यक्ष / सभापति का कर्त्तव्य बनता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।

अनुच्छेद 191 के अनुसार विधानमण्डल के सदस्यता के लिए निरहर्ताएँ

(i) लाभ का पद ग्रहण किया हो ।

(ii)वहविकृतचित्त हो ।

(iii) वह संसद के किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमण्डल सदस्यों की निरर्हताओं (अयोग्यता) से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय अनुच्छेद 197 मे वर्णित अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं तो इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा । ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले , राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

NOTE- अनुच्छेद 164 B (91वें संविधान संशोधन 2003) के तहत प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य पुन विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने तक मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।

<u>विधानसभा की शक्तियाँ</u>

- राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ।
- राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है ।
- विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्ति के आधार पर की जाती है ।
- धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यों में पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है ।
- कोई विधेयक धन विधेयक **(अनुच्छेद 199)** है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।
- धन विधेयक व वित्त विधेयक को पारित करने के संबंध में विधानसभा शक्तिशाली है क्योंकि राज्यों में किसी भी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है तथा दोनों सदनों के मध्य 4 माह से अधिक अवधि तक मतभेद बरकरार रहने की स्थिति में विधानसभा द्वारा पुन पारित विधेयक को पारित मान लिया जाता है ।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं तथा इनका कार्यकाल भी विधानसभा पर निर्भर करता है ।
- विधानसभा मंत्रीपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पद मुक्त कर सकती है ।

<u>विधान परिषद की शक्तियाँ</u>

- विधान परिषद धन विधेयक पर 14 दिन तथा साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में 4 माह की देरी कर सकती है ।

NOTE- राज्यसभा साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में 6 माह की देरी कर सकती है ।

<u>विधानसभा व विधान परिषद दोनों को बराबर शक्तियां</u>

- साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता हैं ।
- संविधान संशोधन विधेयक यदि **अति विशेष बहुमत से है तो** विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है । मुख्यमंत्री या मंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है ।

विधानमंडल की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

प्रश्नकाल –

- प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घण्टा (11 AM-12 AM) प्रश्नकाल कहलाता है । जिसमें प्रश्न पूछे जाते है एवं उनका उत्तर दिया जाता है ।
- प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं : (A) तारांकित प्रश्न (B) अतारांकित प्रश्न (C) अल्प सूचना प्रश्न

<u>तारांकित प्रश्न :-</u>

- कोई प्रश्न तारांकित है या अतारांकित इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है ।

प्रश्न:-राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम' के अनुसार निम्नांकित में से कौन से -विभाग के प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति 'क' के नियंत्रणाधीन नहीं हैं? (RAS. pre. 2021)
(1) शिक्षा विभाग
(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग
(3) वित्त विभाग
(4) गृह विभाग
उत्तर- (4)

- उपर्युक्त चार वित्तीय समितियों के अलावा, राजस्थान विधान सभा ने अन्य 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया है ।

1. अधीनस्थ कानूनों पर समिति
2. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
3. अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति
4. व्यापार सलाहकार समिति
5. आवास समिति
6. नियम समिति
7. पुस्तकालय समिति
8. याचिका ओंपर समिति
9. विशेषाधिकारों की समिति
10. सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
11. सामान्य प्रयोजन समिति
12. प्रश्न एवं संदर्भ समिति
13. महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधी समिति
14. पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति
15. अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति
16. स्थानीय निकायों-पंचायत राजसंस्थानों की समिति
17. पर्यावरण पर समिति

- सदन में आम तौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों से ये समितियां गठित की जाती हैं ।
- समिति के सदस्यों का कार्यालय आम तौर पर एक वर्ष होता है ।
- सरकार के बिलों पर चयन समितियों के मामले के अलावा कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है ।
- जहां तक बिजनेस एडवाइज रीकमेटी का संबंध है ,सदन के नेता के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है , जो मुख्यमंत्री होता है ।
- आमतौर पर , इन समितियों की रिपोर्ट समितियों के अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है , लेकिन अंतर सत्र में अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तत कर सकते हैं ।
- इन रिपोर्टों को (विशेषाधिकार समिति और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को छोड़कर) आमतौर पर सदन में नहीं उठाया जाता है ।

राजस्थान विधान सभा भवन

- वर्ष 1952 से 2000 तक सवाईमान सिंह टाउनहॉल राजस्थान विधानसभा के लिए उपयोग किया जा रहा था ।
- 11वीं विधानसभा के 5वां सत्र यहां का अंतिम सत्र था , जो 6 नवंबर, 2000 को सवाई मान सिंह टाउन हॉल में आयोजित किया गया था ।
- राजस्थान विधानसभा की नई इमारत भारत में सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है।
- यह इमारत ज्योति नगर, जयपुर में एक विशाल 16.96 एकड़ परिसर में स्थित है ।इस परियोजना पर काम नवंबर, 1994 में शुरू हुआ और मार्च 2001 में पूरा हुआ ।
- भवन का बाहरी भाग राजस्थान की प्रसिद्ध परंपरागत स्थापत्य का शानदार नमूना है।
- जोधपुर और बंसी पहाड़ पत्थर के उपयोग से इस इमारत का निर्माण किया गया है ।
- बिल्डिंग 145 फीट की ऊँचाई और 6.08 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र वाली आठ मंजिला फ्रेम संरचना है।
- मुख्य गुंबद 104 फीट की व्यास का है। विधानसभा में 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है ।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

क्र.	विधानसभा अध्यक्ष	कार्यकाल
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी	31.03.1952 से 25.04.1957
2.	श्री रामनिवास मिर्धा	25.04.1957 से 03.05.1967
3.	श्री निरंजन नाथ आचार्य	03.05.1967 से 20.03.1972
4.	श्री रामकिशोर व्यास	20.03.1972 से 18.07.1977
5.	श्री लक्ष्मणसिंह	18.07.1977 से 20.06.1979
6.	श्री गोपालसिंह	25.09.1979 से 07.07.1980
7.	श्री पूनमचंद विश्नोई	07.07.1980 से 20.03.1985
8.	श्री हीरालाल देवपुरा	20.03.1985 से 16.10.1985
9.	श्री गिरिराजप्रसाद तिवारी	31.01.1986 से 11.03.1990
10.	श्री हरिशंकर भाभड़ा	16.03.1990 से

		21.12.1993 30.12.1993 से 05.10.1994
11.	श्री शांतिलाल चपलोत	07.04.1995 से 18.03.1998
12.	श्री समरथलाल मीणा	24.07.1998 से 04.01.1999
13.	श्री परसराम मदेरणा	06.01.1999 से 15.01.2004
14.	श्रीमती सुमित्रासिंह	16.01.2004 से 01.01.2009
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	02.01.2009 से 20.01.2014
16.	श्री कैलाश मेघवाल	22.01.2014 से 15.01.2019
17.	श्री सी.पी. जोशी	16.01.2019 से लगातार

अभ्यास प्रश्न

1. विधानसभा अध्यक्ष होता है-
A. नियुक्त B. चयनित
C. निर्वाचित D. मनोनीत **उत्तर (B)**

2. विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं ?
A. राज्यपाल B. मुख्यमंत्री
C. विधानसभा अध्यक्ष D. विधानपरिषद के सभा
उत्तर (A)

3. विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
A. 168 B. 169
C. 170 D. 165 **उत्तर (C)**

4. विधानमंडल का उल्लेख संविधान में वर्णित है-
A. भाग-4, अनुच्छेद : 168-218
B. भाग-6, अनुच्छेद : 168-212
C. भाग-8, अनुच्छेद :169-211
D. भाग-11, अनुच्छेद :167-213 **उत्तर (B)**

5. भारत के किस राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं बनी है यद्यपि संविधान द्वारा सातवें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है ?
A. महाराष्ट्र B. बिहार
C. कर्नाटक D. मध्य प्रदेश **उत्तर (D)**

6. राजस्थान में प्रथम विधानसभा कब गठित हुई?
A. 26 अप्रैल, 1952
B. 26 जुलाई, 1952
C. 29 अप्रैल, 1952
D. 29 फ़रवरी,1952 **उत्तर (D)**

7. निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है ?(RAS. Pre. 2016)
A. लोक सभा B. राज्य सभा
C. विधान परिषद् D. विधान सभा
उत्तर (C)

8. निम्न में से कौनसा असत्य कथन है ?
A. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।
B. विधानपरिषद् का सृजन व समापन संसद करती है
C. किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 40 तथा अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं ।
D. राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा
उत्तर (D)

9. किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई ?
A. चौथी B. छठी
C. पाँचवीं D. सॉंतवी
उत्तर (B)

10. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
A. राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में क्रमशः 10 व 25 सदस्य हैं ।
B. राजस्थान में विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या 200 हैं ।
C. लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं ।
D. उपर्युक्त सभी **उत्तर - (C)**

11. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत् राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी , किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया ,अब-
A. जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधिमान्य नहीं होगा ।
B. राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है ।
C. राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेज देगा ।
D. यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा ।
उत्तर (A)

अध्याय – 5

उच्च न्यायालय

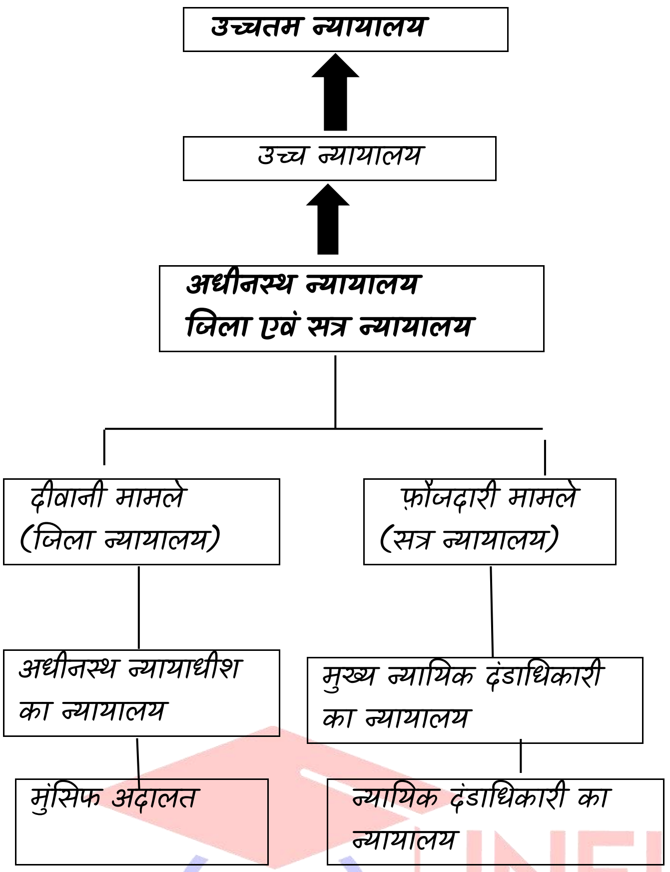

- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ ।
- वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई ।
- भारतीय संविधान के **भाग -6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ।
- **अनुच्छेद 214** के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन **अनुच्छेद 231** के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है । (7 वें संविधान 1956 के तहत)
- **अनुच्छेद 230 के तहत्** ससद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है ।

  पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे । मार्च 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।
- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है । 25 वां उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य का जो । जनवरी , 2019 अमरावती में स्थापित हुआ है ।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष1966 से) है ।
- **NOTE :** - जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू - कश्मीर राज्यों को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया । इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी उच्च न्यायालय था लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू - कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में यथास्थित रहेगा ।
- निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय है

(i) पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ : - चंडीगढ़ उच्च न्यायालय
(ii) महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादर एवं नागर हवेली- बॉम्बे उच्च न्यायालय
(iii) असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम: - गुवाहटी उच्च न्यायालय
(iv) तमिलनाडु , पुडुचेरी : - मद्रास उच्च न्यायालय
(v) केरल, लक्षद्वीप - एर्नाकुलम उच्च न्यायालय
(vi) प. बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह:- कलकत्ता उच्च न्यायालय

गठन

अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे । संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है । राष्ट्रपति समय - समय पर आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते है।

न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो ।या किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है ।
- कॉलेजियम की अनुशंसा पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संदर्भ में पहल करते हैं ।
- इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) के पास

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856WI8&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vl

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)

whatsapp - https://wa.link/0yupe6 1 web.- https://shorturl.at/pwFNP

FREE SAMPLE

SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

whatsapp – https://wa.link/0yupe6 web.- https://shorturl.at/pwFNP

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
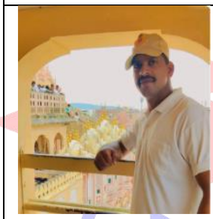	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379 Admit Card HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION	Jind (Haryana)

And many others……

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/0yupe6

Online order करें – https://shorturl.at/pwFNP

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE